मिसिल संख्या 6/4/2014-एसडी/एएम
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
प्रशासन (सूत्रधार)

दिनांक- 18/03/2019

अत्यंत आपात स्थितियों में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र हितकारी निधि के सदस्यों के लिए भुगतान के संवितरण के लिए एसओपी-

कई आपातिक एवं अप्रत्याशित स्थितियों जैसे कर्मचारी के अचानक एवं गंभीर रोग से कभी कभी कर्मचारी को काफी लम्बे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित होने के कारण बिना वेतन के रहना पड़ता है। ऐसी बीमारी के कारण या मृत्यु के कारण ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को काफी वित्तीय कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर तात्कालिक वित्तीय सहायता के रूप में हितकारी निधि आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए जिससे निर्भर परिवार अपनी वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ने एक हितकारी निधि की स्थापना की है, जिसे निधि के रूप में संदर्भित किया गया है। निधि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र से प्राप्त वित्तीय सहायता तथा सदस्यों के रूप में नामांकित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कर्मचारियों के अंशदान द्वारा संचालित की जाती है ।

दिनांक 18/04/2014 को आयोजित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की न्यासी मंडल की 34वीं बैठक ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कर्मचारियों के लिए हितकारी एवं कल्याण निधि' पर योजना का अनुमोदन किया तथा योजना पर किए गए छोटे संशोधनों को दिनांक 3 अगस्त 2018 को आयोजित कार्यकारी समिति की 77वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया।

<u>योजना की मुख्य विशेषताएं:</u>

- यह योजना क्षेत्रीय केन्द्रों में नियमित/स्थाई कर्मचारियों सहित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के नियमित/स्थाई कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। और, यह योजना सांस्कृतिक सूचना विज्ञान प्रयोगशाला तथा पूर्व-भवन परियोजना कर्मियों के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप में उपलब्ध रहेगी।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कर्मचारियों को न्यूनतम वित्तीय सहायता का अनुदान निम्न परिस्थितियों में मिलेगा:
    - कर्मचारी की मृत्यु : 50,000 रु.
    - कर्मचारी की गंभीर बीमारी: 75,000/- रु.